तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व त जो इस हुक में ज
मुखराम / दमाला 1/238/2011	21.6.10. — पक्षकार व अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फोटो शाजरा इसपुर में पेश। उभय पक्ष परामर्श अनुसार पक्षकारों को अवलोकन किया। मुकदमा प्रमाणित नहीं होने के कारण चलने योग्य, सार्थक नहीं है। अतः खारिज किया जाता है। पक्षकारों निर्णय शुभकर होकर खारिज दफ्तर हो। SDO Ramgarh उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)	